रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240525 CG-DL-E-24112022-240525

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5225] No. 5225] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्रहायण 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5454(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5069 (अ) दिनांक 01.10.2018 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 01.10.2018 में प्रकाशित अर्थात:-उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रमांक 1 के समक्ष: कालम 2 में, जिला राजस्व अधिकारी, कृष्णागिरी के स्थान पर विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएचएआई, कृष्णागिरी प्रतिस्ताफित किया जायेगा

फुट नोट : मूल अधिसूचना का.आ. 01.10.2018 भारत का राजपत्र , असाधारण , भाग-ii , खंड -३, उपखण्ड (ii) दिनांक 01.10.2018 में प्रकाशित।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार संख्या 5680/HV1/2022-1,िदनांक 29.04.2022 विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएचएआई, कृष्णागिरी को कार्य तिमलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में एनएच-207 (नया एनएच 648) के कि.मी. 3.00 से कि.मी. 9.350 तक बगलूर बाईपास का निर्माण के लिये नया काला प्रस्तावित किया गया है।

फा. सं. RW-MD/TN/NH-207/DPR/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

7801 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5454(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5069(E) dated 01.10.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II),01.10.2018 namely:-

In the schedule to the said notification, against serial no. 1 in column 2 for the entry District Revenue Officer, Krishnagiri the entry Special District Revenue Officer (LA), NHAI, Krishnagiri shall be substituted.

As per State Government order no.5680/HV1/2022-1,dated 29.04.2022 Special District Revenue Officer (LA), NHAI,Krishnagiri is the proposed new CALA for the work of Construction of Bagalur Bypass from Km. 3.00 to Km. 9.350 of NH-207 (New NH-648) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU.

[F. No. RW-MD/TN/NH-207/DPR/2018]

RAJESH GUPTA, Director